



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2012/पौष 20, 1933

No. 42]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2012/PAUSA 20, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2012

का.आ. 50(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा पदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में की तत्स्थानी प्राविष्टि म यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के, सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्राविष्टि में विनिर्दिष्ट सेक्षन की सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट खड़ को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अधात् —

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्षन	खड़ किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
200	छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर-बिलासपुर सेक्षन	0.000 कि.मी. से 127.650 कि.मी.

[फा. सं. एनाच-14013/13/2011-पी एड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2012

S.O. 50(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the Section specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

TABLE

National Highway No.	Section	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
200	Raipur-Bilaspur Section in the State of Chhattisgarh	From Km. 0.000 to Km. 127.650

[F. No. NH-14013/13/2011-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2012

का.आ. 51(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), को अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ). तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करना है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टिया के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“5 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [307 कि.मी. से 405 कि.मी. (रायपुर-नागपुर सेक्शन), और 88.000 कि.मी. से 281.000 कि.मी. (रायपुर-औरंग) को छोड़कर], सं. 12ए, सं. 16, सं. 43, सं. 78, सं. 111, सं. 200 [0.000 कि.मी. से 127.650 रायपुर-बिलासपुर सेक्शन को छोड़कर] सं. 202 सं 216, सं. 217, आग सं 221 जो छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार”।

[फा. सं. एनएच-14013/13/2011-पी एंड एम]

भाषा प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा पकाशित की गई थी और अंत में सं. का.आ. 2571(अ), तारीख 14 नवम्बर 2011 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2012

S.O. 51(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“5 So much of National Highways No. 6 [excluding from km. 307.600 to km. 405.000 (Raipur-Nagpur Section) and from Km. 88.000 to Km. 281.000 (Raipur-Aurang)] No 12A, No. 16, No. 43 No 78, No. 111, No. 200 [excluding from Km. 0.000 to Km. 127.650 (Raipur-Bilaspur section)] No. 202, No. 216, No. 217 and No. 221 as are situated within the State of Chhattisgarh.

State Government
of Chhattisgarh”.

[F.No. NH-14013/13/2011-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2571(E), dated the 14th November, 2011.